रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGD. No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2014/आश्विन 29, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 123

No. 134] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2014/ASVINA 29, 1936 [N.C.T.D. No. 123

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

सं. फा.16(140)/श.वि./डब्ल्यू/2008/524.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उप–धारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24.9.2013 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करके बनाए गए कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद की भर्ती पद्धति संबंधी निम्नलिखित विनियम, इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाते हैं, और कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के लिये दिल्ली जल बोर्ड भर्ती विनियम, 2009 के अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर इनका अधिक्रमण किया गया, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :— (i) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के भर्ती विनियम, 2014 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :— कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :— इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के भर्ती विनियम

1.	पदनाम	:	कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी)
2.	पदों की संख्या	:	33 (2013)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन समूह–3 में 15600–39100/–रुपये (ग्रेड पे 6600/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा वाले 4600/–रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9300–34800/–रुपये वेतन समूह–2 में सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधिधारक अथवा

विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी में इस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के भाग "क" तथा "ख" परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संविदा विधि, ई–गवर्नस तथा इंजीनियरिंग विषय पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलपूर्वक पूरा किया हो।

टीप–1: यदि कोई अधिकारी पदोन्नति के विचारणीय क्षेत्र में शामिल है उसने प्रशिक्षण नहीं लिया है वह/वे पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए बन रहेंगे और ऐसे अधिकारियों को अपनी पदोन्नति के तुरन्त बाद प्रशिक्षण लेना होगा।

टीप–2 : इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी) का पदधारण करने वाले अधिकारी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से (विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी) में डिप्लोमा रखने वाले वार्षिक आधार पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का 33.1/3 प्रतिशत रिक्तियों ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य होंगे। शर्त यह है कि सात वर्ष की नियमित सेवा वाले वे सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी) जो भर्ती के समय कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी) थे और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि प्राप्त की या कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) के रूप में भर्ती के समय विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी में इस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के भाग "क" तथा "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए भी योग्य होंगे, यदि कोई कनिष्ठ डिप्लोमाधारी सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है।

टीप 3: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी, उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है ।

टीप 4: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

प्रतिनियुक्तिः–

केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारीः–

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–3 में 15600–39,100/– रुपये+ग्रेड पे 5400/– रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; अथवा

(iii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 9300–34,800/– रुपये+ग्रेड पे 4600/– रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; अथवा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले।

			अनिवार्य:— (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से (विद्युत एवं यांत्रिकी) अभियांत्रिकी में उपाधि (ii) विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी कार्यों में पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले। नोट : श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी)। टीप : प्रतिनियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य 3. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड– सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रकाश चन्द्रा, संयुक्त सचिव (एम. बी.)

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2014

No. F. 16(140)/UD/W/2008/524.—The following Regulations regarding the method of Recruitment to the post of Executive Engineer (Electrical and Mechanical) made by the Delhi Water Board. In exercise of power conferred by clause (M) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority orders dated 24.09.2013 and in supersession of the Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2009 for the post of Executive Engineer (Electrical and Mechanical) except as respect things done or omitted to be done before such supersession and prior consultation with the Union Public Service Commission are hereby published for general information, namely:

1. **Short title and commencement.—(i)** These regulations may be called the Delhi Jal Board Executive Engineer (Electrical and Mechanical) Recruitment and Promotion Regulation, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, Classification and Pay Band and Grade pay/scale of pay.**—The number of posts, their classification, Pay Band and Grade pay/the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:**—No person—

(a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of N.C.T. of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to Relax.—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is to the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Executive Engineer (Electrical & Mechanical)	33*. (2013) Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'	PB-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade pay Rs. 6600/-)	Selection	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation if any	**Method of recruitment** : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable.	Two Years	By Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.
Promotion : Assistant Engineer (Electrical/Mechanical) in Pay Band-2 Rs. 9300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade and Possessing Degree in Electrical and Mechanical Engineering from a recognized University or Institution or have qualified the	**Category-'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion)** 1. Chairman/ Member of Union Public Service Commission - Chairman 2. Chief Executive Officer, Delhi Jal Board -Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion

Section 'A' & 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical/ Mechanical Engineering and have successfully completed two weeks training course on Contract Law, e-Governance and engineering matters from Delhi Jal Board Training Institute. **Note : 1** If any officer included in the field of consideration for promotion had not undergone the training, he/they shall continue to be eligible for consideration for promotion and such officers shall undergo the training immediately after their promotion. **Note: 2** The officers holding the post of Assistant Engineer (Electrical/Mechanical) on the date of Notification of these rules and possessing Diploma in (Electrical/Mechanical Engineering) from a recognized University/Institute shall be eligible for consideration for promotion on completion of Nine years regular service in the grade limited to 33 1/3 % vacancies arising in the grade on annual basis. Provided that the Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) with 7 years regular service, who at the time of recruitment as Junior Engineer (Electrical and Mechanical) were possessing Diploma in Engineering but subsequently acquired Degree in Electrical/Mechanical Engineering or have qualified the Section 'A' & 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Electrical/Mechanical Engineering and those Assistant Engineer (Electrical & Mechanical) with 7 years regular service, who were Possessing Degree in (Electrical & Mechanical) Engineering at the or have qualified the Section 'A' & 'B' Examination of the Institute of Engineers(India) in Electrical/Mechanical Engineering at the time of recruitment as Junior Engineer (Electrical & Mechanical) shall also be eligible for consideration for promotion to the post of the Executive Engineer (Electrical and Mechanical), in case a Junior Diploma holder Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) is considered for promotion. **Note : 3** Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.	3.Member (Admn.), Delhi Jal Board-Member	
11.		
Note 4 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade Pay/Pay		

Scale extended based on the recommendations of the pay Commission. **Deputation :** Officers Under the Central Government: (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department : OR (ii) With 5 year's regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/parent department ; OR (iii) with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre department; AND (B) Possessing the following educational qualifications and experience **Essential;** (I) Degree in Electrical/Mechanical Engineering from a recognized University/ Institute. (II) Possessing 5 year's Experience in Electrical/ Mechanical Engineering works. **Note:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed Four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.) **Note:** For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended. Shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Union Territory of Delhi,
PRAKASH CHANDRA, Jt. Secy. (M.B.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.